	स्वत्व अपील संख्या– 21/12–100/14
22. 01. 16	अभिलेख आज उत्तरवादी संख्या– 4 एवं 4ए की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश–39 नियम–1सी एवं धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांक 27.07.15 , जिस पर अपीलार्थी की ओर से प्रतिउत्तर दिनांक 03.08. 2015 आ चुका है, जो सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु निश्चित है। उत्तरवादी संख्या– 4 एवं 4ए की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया है कि स्वत्व वाद संख्या– 311/03 में पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दाखिल किया गया है। उत्तरवादी संख्या– 4 एवं 5 स्वत्व वाद संख्या– 311/03 में प्रतिवादी संख्या– 4 एवं 4ए थे। वह विवादग्रस्त भूमि अनावाद बिहार सरकार है तथा ग्राम सभा से बंदोवस्ती प्रस्ताव पास होने के बाद बिहार सरकार के द्वारा बजरिये लालकार्ड से बंदोवस्त है और उत्तरवादी जो स्वत्व वाद में प्रतिवादी संख्या–4 एवं 4ए थे, का दखल कब्जा शुरू से चला आ रहा है एवं आज भी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उत्तरवादी के पक्ष में है। स्वत्व वाद संख्या– 311/03 में निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी के बंदोवस्ती को सही माना जायेगा। तद्नुसार अपीलार्थी निम्न न्यायालय में वादी था, का मुकदमा सुनवाई के बाद खारिज किया गया है। अतः सुविधा का संतुलन भी उत्तरवादी के पक्ष में है। अपीलार्थी जो बहुत ही शोरपरस्त एवं दबंग है, बराबर जर्बदस्ती एराजी तकरारी को उत्तरवादी द्वितीय पक्ष को बेदखल करने की धमकी दे रहे है। यदि अपीलार्थी उत्तरवादी को बेदखल करने में सफल हो जायेगा तो उत्तरवादी द्वितीय पक्ष को अपूर्णनीय क्षति होगी। इस प्रकार न्याय हीत में अपीलार्थी के विरूद्ध अस्थायी व्यादेश जारी करने का अनुरोध है। इसके विपरित अपीलार्थी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर में कहा गया है कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश–39 नियम–1सी एवं धारा 151 सी0पी0सी0 से बाधित है। अपील में उभय पक्ष की ओर से सुनवाई हो चुकी है। आवेदन की कंडिका–1 सही है जब कि कंडिका–2 पूर्ण रूप से गलत है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष कभी दखल में विवादित भूमि में नहीं आया है और तथाकथित बंदोवस्ती भी प्रभाव में नहीं

	आया। स्वत्व वाद संख्या 311/03 निर्णय एवं डिकी के द्वारा खारिज हो गया है। किंतु प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को कोई अनुतोष नहीं दिया गया है। इसलिये प्रतिवादी द्वितीय पक्ष तथ्य को घुमाने हेतु व्यादेश आवेदन दाखिल किये है। इस प्रकार उनका कोई केस नहीं बनता है। व्यादेश आवेदन की कंडिका–3 पूर्ण रूप से गलत एवं भ्रमित करने वाला है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष को इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिये सुविधा का संतुलन का प्रश्न नहीं उठता है। क्योंकि मुकदमा खारिज हुआ था। जिसमें अपीलार्थी वादी थे । व्यादेश का विन्दु मुकदमें में शामिल नहीं था। इसलिये व्यादेश आवेदन पर विचार नहीं किया जा सका। व्यादेश आवेदन की कंडिका– 4 पूर्ण रूप से गलत एवं भ्रमित करने वाला है। इसलिये अपूर्णनीय क्षति मुकदमें में कभी नहीं उत्पन्न हुआ न ही इस अपील में ही अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न है। इसलिये व्यादेश आवेदन गलत उद्देश्य से दाखिल किया गया है। इस अपील में केवल एक ही विन्दु है– क्या निम्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी तथ्य एवं विधि के अनुसार कायम रहने योग्य है। व्यादेश आवेदन मुकदमें के निस्तारण को लटकाने के उद्देश्य से दिया गया है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को कोई क्षेत्राधिकार इस अपील में नहीं है। इसलिये व्यादेश आवेदन खारिज होने योग्य है। इस प्रकार दाखिल आवेदन को खारिज करने का अनुरोध है। उभय पक्ष को सुनने तथा अभिलेख अवलोकन से पता चलता है कि प्रस्तुत आवेदन उत्तरवादी द्वारा दिया गया है। जिन्हें व्यादेश आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं है तथा उन्होंने प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश–39 नियम–1सी एवं धारा 151 सी0पी0सी0 दाखिल किया है। मुकदमा निम्न न्यायालय से खारिज हुआ था और अपीलार्थी उसमें वादी था तथा उस मुकदमें में व्यादेश का विन्दु शामिल नहीं था। इसलिये उत्तरवादी द्वितीय पक्ष का आवेदन विचार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है तथा इस केस में अपीलार्थी का अंतिम बहस हो चुका है तथा उत्तरवादी की ओर से बहस बाकी है। उत्तरवादी के बहस के पश्चात मुकदमें का अंतिम निस्तारण निकट भविष्य में होने की संभावना है। इसलिये इसे विचार करना उचित

	प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे खारिज किया जाता है। दिनांक 05.02.16 वास्ते विपक्षी के बहस हेतु। लेखापित अ0जि0एवं सत्र न्या0–6